चेक वसूली नीति

विषय-क्षेत्र: डीबीएस बैंक इंडिया शाखाएं (ईएलवीबी शाखाओं सहित)।

जारीकर्ता: जीटीएस और टी एंड ओ

संस्करण: 2.0

सर्वाधिकार सुरक्षित।
इस दस्तावेज़ के किसी भी भाग को किसी अधिकृत प्रकाशन के बिना डीबीएस समूह के बाहर किसी भी रूप में पुन: प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

1 परिचय और मार्गदर्शी सिद्धांत

बैंक की चेक वसूली नीति हमारे ग्राहकों को सर्वोत्तम श्रेणी की सेवा प्रदान करने और प्रदर्शन के लिए उच्च मानक निर्धारित करने के लिए चल रहे प्रयासों को दर्शाती है। यह नीति ग्राहकों के साथ व्यवहार में पारदर्शिता और निष्पक्षता के सिद्धांतों पर आधारित है। हम अपने ग्राहकों को त्वरित वसूली सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस नीति दस्तावेज़ में निम्नलिखित पहलू शामिल हैं:

- भारत और विदेशों में केंद्रों पर देय चेक और अन्य लिखतों की वसूली
- लिखतों की वसूली के लिए समय के मानदंडों के संबंध में हमारी प्रतिबद्धता
- उन मामलों में ब्याज का भुगतान जहां बाहरी लिखतों/स्थानीय चेकों की आय की वसूली में समय सीमा से अधिक विलंब होता है
- पारगमन में खोए वसूली लिखतों को संभालना

यह नीति सभी डीबीआईएल शाखाओं (पूर्ववर्ती लक्ष्मी विलास बैंक/ईएलवीबी शाखाओं सहित) के लिए लागू है। ग्राहक को अनुरोध पर चेक वसूली नीति (सीसीपी) की एक प्रति उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त, सीसीपी को बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा और शाखा नोटिस बोर्ड फाइलों में उपलब्ध कराया जाएगा।

2 नीति

वसूली के लिए व्यवस्था

यह ध्यान दिया जाए है कि खाता प्राप्तकर्ता चेक केवल खाता धारक के खाते में जमा किए जाएंगे और किसी तीसरे पक्ष के खाते में जमा नहीं किए जाएंगे।

स्थानीय चेक की वसूली

सभी सीटीएस अनुपालन चेक और अन्य परक्राम्य लिखत जो स्थानीय रूप से ग्रिड प्रणाली के तहत देय हैं, केंद्र में प्रचलित समाशोधन प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे। कार्यदिवसों और कार्य शनिवार के दिन शाखा समय के भीतर हमारे शाखा काउंटरों पर जमा किए गए चेक उसी दिन समाशोधन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे और कट-ऑफ समय के बाद जमा किए गए चेक/लिखत अगले कार्य दिवस के समाशोधन चक्र में प्रस्तुत किए जाएंगे। एक नीति के रूप में, बैंक उसी कार्य दिवस को ग्राहक के खाते में राशि क्रेडिट करेगा जिस दिन समाशोधन निपटान होता है (अर्थात, समाशोधन में चेक / लिखत प्रस्तुति का अगला कार्य दिवस)।

चेक/लिखतों में कोई विसंगति होने पर उपरोक्त समय सीमा लागू नहीं होती है। चेक/लिखतों की स्वीकृति के लिए शाखा कट-ऑफ समय और केंद्रों की सूची डीबीएस शाखाओं से प्राप्त की जा सकती है।

सीटीएस स्थानों पर प्रस्तुत गैर-सीटीएस लिखतों को गैर-सीटीएस चेकों की वसूली हेतु किसी अन्य माध्यम का उपयोग करके वसूली के लिए भेजा जाएगा। हालांकि, सीटीएस समाशोधन के तहत गैर-सीटीएस लिखतों के लिए कोई अलग सत्र नहीं होगा। सभी बैंकों को ग्राहकों को जारी किए गए सभी गैर-सीटीएस चेकों को वापस लेने के लिए सभी प्रयास करने की सलाह दी गई है ताकि उन्हें चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा सके और ग्राहकों द्वारा केवल सीटीएस-2010 चेक का उपयोग किया जा सके। आरबीआई ने बैंकों को अपनी सभी शाखाओं को संबंधित ग्रिड के तहत छवि-आधारित सीटीएस में भाग लेना सुनिश्चित करना भी अनिवार्य बनाया है।

हमारे बैंक की अपनी शाखाओं पर आहरित स्थानीय चेकों (स्थानांतरण चेक) के लिए वसूली समय - बैंक के काउंटरों पर जमा किए गए ऐसे सभी चेक उसी दिन जमा किए जाएंगे।

बाहरी चेक की वसूली

बाहरी केंद्रों में अन्य बैंकों पर आहरित चेक, जिन्हें स्थानीय रूप से एकत्र नहीं किया जा सकता है, ऐसे सीटीएस अनुपालन चेक अन्य ग्रिड के माध्यम से समाशोधन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे जहां यह भाग लेता है (जमा के स्थान से अलग), उदाहरण के लिए सहकारी बैंक जो केवल एक विशेष सीटीएस ग्रिड में भाग लेते हैं। किसी भी गैर-सीटीएस अनुपालन चेक के लिए, इन्हें उन केंद्रों पर बैंक की शाखाओं के माध्यम से वसूली के लिए भेजा जाएगा। सीटीएस-अनुपालन वाले बाहरी चेकों के लिए क्रेडिट 2 कार्य दिवसों के भीतर प्रदान किया जाएगा।

ऋण व्यवस्था यह मानकर दी जाती है कि जमा की शाखा में लागू कट-ऑफ समय के भीतर दिन 0 पर चेक जमा किए जाते हैं। कट-ऑफ के बाद प्राप्त होने वाले चेक के लिए अगले कार्य दिवस को दिन 0 माना जाएगा।

यदि चेक किसी ऐसे बैंक पर आहरित किया जाता है जो सीटीएस समाशोधन में भाग नहीं लेता है, तो चेक वसूली के आधार पर अदाकर्ता बैंक को भेजा जाएगा। ऐसे चेक का क्रेडिट आमतौर पर 10 कार्य दिवसों के भीतर प्राप्त हो जाता है।

चेक स्वीकार करने के लिए शाखा का कट-ऑफ समय और केंद्रों की सूची डीबीएस शाखाओं से प्राप्त की जा सकती है।

विदेशी मुद्रा वाली चेक की वसूली

बैंक डीबीएस शाखाओं के नामित काउंटरों पर ग्राहकों से विदेशी मुद्रा वाली चेक प्राप्त करेगा। ऐसे चेक को नकद पत्र व्यवस्था के तहत वसूली के लिए संबंधित बैंक के मुंबई कार्यालय में भेजे जाएंगे। नोस्ट्रो में क्रेडिट दिखने पर, नीचे उल्लिखित मुद्राओं के अनुसार ग्राहकों के खाते में क्रेडिट (स्पष्ट निधि के आधार पर) दिया जाएगा-

- यूएसडी के लिए: यदि चेक एनवाई (न्यूयॉर्क) शहर में आहरित किया गया है, तो कूलिंग अवधि के बाद, नोस्ट्रो में क्रेडिट होने की तिथि से 14वें कैलेंडर दिवस पर। यदि चेक एनवाई शहर के बाहर आहरित किया गया है तो कूलिंग अवधि के बाद, नोस्ट्रो में क्रेडिट होने की तिथि से 21वें कैलेंडर दिवस पर।
- एसजीडी के लिए: हमारे नोस्ट्रो में क्रेडिट होने की तिथि से अगले कार्य दिवस को
- जीबीपी के लिए: हमारे नोस्ट्रो में क्रेडिट होने की तिथि से अगले कार्य दिवस को
- अन्य मुद्राओं के लिए: हमारे नोस्ट्रो में क्रेडिट होने की तिथि से अगले कार्य दिवस को, यदि क्रेडिट स्पष्ट निधि के आधार पर है।

यदि व्युत्पन्न कैलेंडर दिवस भारत में एक अवकाश का दिन है, तो अगले कार्य दिवस (शनिवार को छोड़कर) को अंतिम क्रेडिट दिवस के रूप में माना जाएगा। यदि किसी कारण से चेक बाद में वापस हो जाता है, तो ग्राहक के खाते से समतुल्य एफसीवाई राशि डेबिट की जाएगी। यदि ग्राहक के खाते में क्रेडिट होने में ऊपर निर्दिष्ट देय तिथियों से अधिक देरी होता है, तो क्षतिपूर्ति का भुगतान विलंब की अवधि के लिए प्रचलित घरेलू बचत बैंक ब्याज दर के अनुसार किया जाएगा। एफसीवाई चेक डीबीएस इंडिया ग्राहकों के लिए समाशोधित किए जाते हैं, हालांकि एक वसूली बैंक होने के नाते डीबीएस इंडिया डीबीएस सिंगापुर द्वारा जारी एसजीडी ड्राफ्ट को भी समाशोधित करता है।

विलंबित वसूली के लिए ब्याज भुगतान

डीबीएस बैंक अपने ग्राहकों को ऊपर उल्लिखित समय सीमा से अधिक विलंब की अवधि के लिए विलंबित क्रेडिट पर ब्याज का भुगतान करेगा। बैंक की क्षतिपूर्ति नीति दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राहक से किसी भी दावे की आवश्यकता के बिना देरी की अवधि के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा।

बाहरी समाशोधन के लिए स्वीकार किए गए चेक के लिए तत्काल क्रेडिट

गैर-सीटीएस अनुपालन चेकों के लिए जिन्हें किसी भी सीटीएस ग्रिड के माध्यम से सीटीएस समाशोधन के लिए नहीं भेजा जा सकता है, डीबीएस बैंक बाहरी चेकों के लिए तत्काल व्यक्तिगत खाताधारकों को 15,000/- रुपये के कुल मूल्य तक की क्रेडिट सुविधा प्रदान करने पर विचार करेगा। यह सुविधा उन ग्राहकों को प्रदान की जाएगी जिनका बैंक में 1 वर्ष से अधिक की अवधि से खाता है और जिन्होंने बैंक के केवाईसी मानदंडों का अनुपालन किया है। तत्काल क्रेडिट की सुविधा ग्राहक द्वारा विशिष्ट अनुरोध करने पर ही प्रदान की जाएगी। डीबीएस बैंक, निर्धारित शुल्क की वसूली करेगा, और बैंक द्वारा निधियों की वास्तविक प्राप्ति तक, मार्जिनल ऋण सुविधा दर (1 महीने) (जैसा कि सुविधा का लाभ उठाने के समय लागू हो) पर ब्याज वसूल करेगा। डीबीएस बैंक संबंधित कॉर्पोरेट ग्राहकों के साथ समझौते के अनुसार कॉर्पोरेट ग्राहकों को बाहरी चेक के लिए तत्काल क्रेडिट की सुविधा प्रदान करने पर विचार करेगा।

चेक का अनादर/ वापसी

यदि वसूली के लिए भेजा गया चेक, जिसके लिए बैंक द्वारा तत्काल क्रेडिट प्रदान किया गया था, बिना भुगतान के लौटा दिया जाता है, तो चेक का मूल्य तुरंत खाते से डेबिट कर लिया जाएगा, इसके अलावा लागू शुल्क, और उसके ब्याज की वसूली भी की जाएगी। उपरोक्त व्यवस्था उन सभी ग्राहकों के चेक जमा के लिए लागू होगी जो बैंक की विशिष्ट नकद प्रबंधन सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। अनादरित लिखतों को बिना किसी देरी के, किसी भी स्थिति में 24 घंटे के भीतर ग्राहक को तुरंत लौटा/भेज दी जाती है। इसके अलावा,

1. यदि वसूली के लिए भेजा गया चेक जिसके लिए बैंक द्वारा तत्काल क्रेडिट प्रदान किया गया था, बिना भुगतान के लौटा दिया जाता है, तो चेक का मूल्य तुरंत खाते से डेबिट कर लिया जाएगा। बैंक उस अवधि के लिए बेजमानती अग्रिम दर पर ब्याज वसूल करेगा, जिस अवधि के लिए बैंक में धन की कमी रही थी।
2. यदि चेक की आय बचत बैंक खाते में जमा की गई थी और निकाली नहीं गई है, यदि चेक बिना भुगतान के वापस कर दिया जाता है तो जमा की गई राशि ब्याज के भुगतान के लिए योग्य नहीं होगी।
3. यदि आय को ओवरड्राफ्ट/ऋण/क्रेडिट कार्ड खाते में जमा किया गया था, तो क्रेडिट की तिथि से लेकर प्रविष्टि के प्रत्यावर्तन की तिथि तक के लिए ब्याज की वसूली ओवरड्राफ्ट/ऋण पर लागू ब्याज दर से 2% अधिक की दर से की जाएगी, यदि चेक/लिखत को उस सीमा तक बिना भुगतान के वापस कर दिया जाता है, जिस हद तक बैंक में धन की कमी रही थी।
4. यदि वसूली के लिए भेजा गया चेक, जिसके लिए बैंक ने क्रेडिट प्रदान किया है, बिना भुगतान के वापस कर दिया जाता है, तो चेक का मूल्य तुरंत खाते से डेबिट कर लिया जाएगा, भले ही इस डेबिट के कारण खाता डेबिट बैलेंस में चला जाए और बकाया राशि को किसी भी अन्य बेजमानती ओवरड्राफ्ट की ही तरह माना जाएगा। बैंक उस अवधि के लिए बेजमानती अग्रिम दर पर ब्याज वसूल करेगा, जिस अवधि के लिए बैंक में धन की कमी रही है।
5. बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का विधिवत पालन करते हुए समय-समय पर लागू दरों पर "चेक वापसी शुल्क" भी वसूल करेगा।

पारगमन में खोए चेक

बैंक द्वारा वसूली के लिए स्वीकार किए गए चेक या कोई लिखत पारगमन के दौरान खो जाने की स्थिति में, बैंक, नुकसान के बारे में पता चलने पर, ग्राहक को तुरंत सूचित करेगा ताकि खाताधारक ड्रॉअर को भुगतान रोकने के रिकॉर्ड के बारे में सूचित कर सके और यह भी ध्यान रख सके कि जारी किए गए अन्य चेक, खोए चेक/ लिखत की राशि क्रेडिट न होने के कारण, अनादरित न हों। बैंक चेक लिखने वाले से एक डुप्लीकेट लिखत प्राप्त करने में ग्राहक को हर प्रकार की सहायता प्रदान करेगा। बैंक समाशोधन या वसूली हेतु भेजे गए प्रतिस्थापन लिखत के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाएगा। बैंक ग्राहक को बैंक की क्षतिपूर्ति नीति के अनुसार दस्तावेजी प्रमाण और सबूत प्रस्तुत करने पर किसी भी प्रत्यक्ष या यथोचित शुल्क की भरपाई करेगा, जो ग्राहक को डुप्लीकेट चेक/ लिखत प्राप्त करने के लिए वहन करना पड़ा है और इसकी प्राप्ति में हुए यथोचित विलम्ब के लिए ब्याज भी भुगतान करेगा।

इसके अलावा, बैंक यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि उसके द्वारा जारी किए गए अन्य चेक खोए हुए चेकों/लिखतों की राशि जमा न होने के कारण अनादरित न हों। इस तरह के नुकसान की जिम्मेदारी खाताधारक की नहीं बल्कि वसूलीकर्ता की होती है।

अप्रत्याशित घटना

अप्रत्याशित घटना का अर्थ है ईश्वरीय कार्य, बाढ़, सूखा, भूकंप या अन्य प्राकृतिक आपदा या स्थिति, आपदा, महामारी या विश्वमारी, आतंकवादी हमला, युद्ध या दंगे, परमाणु, रासायनिक या जैविक संदूषण, औद्योगिक कार्रवाई, बिजली की विफलता, कंप्यूटर की खराबी या जानबूझ कर नुकसान पहुँचाना, और इमारतों का गिरना, आग, विस्फोट या दुर्घटना या ऐसे अन्य कार्य जो बैंक के यथोचित नियंत्रण से बाहर हैं।

बैंक के दायित्वों का प्रदर्शन तब तक के लिए निलंबित रहेगा जब तक अप्रत्याशित घटना या परिस्थिति के कारण कार्य प्रदर्शन असंभव बना रहता है। सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर बैंक अप्रत्याशित घटना के परिणामों को कम करने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी औद्योगिक कार्रवाई, बिजली की विफलता, कंप्यूटर की खराबी या जानबूझ कर नुकसान पहुँचाने के मामले में, बैंक अपनी सेवाओं के प्रावधान में देरी को कम करने के लिए उचित कदम उठाएगा और अपने ग्राहकों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा।

3 शासन

3.1 स्वामित्व और अनुमोदन प्राधिकरण

डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड (डीबीआईएल), डीबीएस बैंक लिमिटेड (डीबीएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक (डब्ल्यूओएस) कंपनी है, जिसका मुख्यालय सिंगापूर में है। सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के मामले में डीबीआईएल जटिल, लंबी अवधि, बड़े या महत्वपूर्ण लेनदेन से निपटने के दौरान डीबीएल के अनुभव और विशेषज्ञता को आकर्षित करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि समूह के न्यूनतम स्वीकृति मानदंड का अनुपालन किया जा रहा है।

यह नीति जारीकर्ता के स्वामित्व में होगी और बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित होगी।

3.2 विचलन

किसी भी परिशिष्ट सहित कोई विचलन, यदि कोई हो, असाधारण आधार पर होगा और इसे जारीकर्ता द्वारा प्रलेखित किया जाना चाहिए और बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। कोई भी परिवर्तन जो वास्तविक नहीं है, लेकिन प्रकृति में आकस्मिक या प्रशासनिक है, उसके लिए अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा साइन-ऑफ की आवश्यकता नहीं होती है। कॉर्पोरेट ग्राहक के लिए चेक वसूली, सेवा की प्रस्तुति के समय कॉर्पोरेट ग्राहक के साथ सहमत शर्तों के अनुसार होगा।

3.3 समीक्षा

इस नीति की वार्षिक आधार पर या निरंतर प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए जब भौतिक परिवर्तन आवश्यक/उपयुक्त हों समीक्षा की जानी चाहिए (तीन महीने तक की छूट अवधि के साथ)।

परिशिष्ट 1	विचलन का रिकॉर्ड				
प्रभावी तिथि	**अनुभाग**	**अनुमोदन दाता और अनुमोदन तिथि**	**स्वीकृति दाता और स्वीकृति की तिथि**	**विचलन का विवरण**	**विचलन का कारण**
दिन माह वर्ष	इस दस्तावेज़ के अनुभाग जहां विचलन होता है	विचलन के लिए आवेदन करने वाली इकाई/कार्य के समूह/देश प्रमुख द्वारा अनुमोदन अनुमोदन दिनांक: दिन माह वर्ष	विचलन के लिए दस्तावेज़ स्वामी द्वारा अनुमोदन अनुमोदन तिथि: दिन माह वर्ष	यह खंड पर लागू विचलन का वर्णन करता है	यह विचलन के कारणों की व्याख्या करता है
-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट 2	संस्करण का इतिहास	
संस्करण	**जारी होने की तिथि**	**मुख्य बदलाव का सारांश**
1.0	मई 2019	पहला प्रकाशन (डीबीएस इंडिया को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में शामिल करने के बाद)
2.0	फरवरी 2022	सभी डीबीआईएल शाखाओं पर नीति लागू करने के लिए शाखाओं की सूची का संदर्भ हटा दिया गया है। वर्तमान चेक समाशोधन को दर्शाने के लिए भाषा को अद्यतन किया गया है जहां अधिकांश बैंक सीटीएस समाशोधन में भाग लेते हैं।